न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 64/2024

अनवान : –

1. भावना नाबालिग पुत्री जय प्रकाश जरिये कुदरती बली माता चन्द्रकला पत्नी जय प्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. ऋषिका नाबालिग पुत्री जय प्रकाश जरिये कुदरती बली माता चन्द्रकला पत्नी जय प्रकाश जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. जयप्रकाश पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 18/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायल संख्या 1 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 106/95 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6410 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 248/390 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 21.1450 है० भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि सायलान के पिता गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई। गैरसायल संख्या 1 जो कि सायलान का पिता है तथा गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में गैरसायल संख्या 1 के साथ सायलान का 40 हि० ब० हक हिस्सा है सायलान इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर जमाबंदी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। सायलान संख्या 1 ता 2 नाबालिग है तथा समस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 सायलान को उनके हक हिस्सा से वंचित करना चाहता है इसलिए समस्त भूमि को बिना जरूरत रहन, वैय व मुन्तकिल करना चाहता है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायलान के साथ घोर अन्याय होगा तथा सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए पलान प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 106/95 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6410 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 248/390 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 21.1450 है0 भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि को रहन, वैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:42:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 106/95 की कुल 4.6410 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 248/390 की कुल 21.450 हैक्ट भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से सायलान के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जंरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायलान पिछले काफी वर्षो से बडबिराना में निवास नही करते है सायलान अपनी माता के ननिहाल में रहते है तथा मुझ उत्तरदाता के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर में एक प्रकरण संख्या 243/2023 चन्द्रकला बनाम जयप्रकाश दायर कर रखा है उक्त आवेदन में 25000/– रूपये प्रति माह मांग कर रखी है तथा न्यायालय के द्वारा मिन उत्तदाता के विरूद्ध प्रतिमाह 4000 रूपये वादियान की मॉ चन्द्रकला को देने के आदेश पारित कर रखे है। सायलान की माता ने उत्तरदाता को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 106/95 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6410 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 248/390 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 21.1450 है० भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि सायलान के पिता गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई है प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक सायलान की माता द्वारा अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर मे विचाराधीन है लेकिन उक्त वाद भरण पोषण का है जबकि न्यायालय हाजा में अप्रार्थी स0 1 के वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्सा हेतु वादी पेश किया गया है जो की मूल वाद में तय होना है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:42:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul.
नोहर

नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 4.1240 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:42:14 IST
Reason: SelfAttested